Q1

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 05.11.2015 को अपराह्न 02:30 बजे राजनिवास, दिल्ली में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे:

अध्यक्ष

1. श्री नजीब जंग
   उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

2. श्री अरुण गोयल

सदस्य

3. श्री वेंकटेश मोहन
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
4. श्री अभय सिन्हा
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
5. श्री डी. एस. मिश्रा
   अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
6. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
7. श्री एस. के. बग्गा, विधायक
8. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक
9. श्री सतीश उपाध्याय
   निगम पार्षद, एसडीएमसी
10. डॉ. (श्रीमती) रजनी अब्बी
    निगम पार्षद, एनडीएमसी

सचिव

श्री डी. सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

विशेष आमंत्रिती एवं वरिष्ठ अधिकारीगण

1. श्री के.के. शर्मा
   मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी
2. श्री जे.पी. अग्रवाल
   प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान एवं आवास), दि.वि.प्रा.

3. श्री पी.के. गुप्ता
आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
4. श्री अमित यादव,
आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
5. श्री पुनीत गोयल
आयुक्त, एसडीएमसी
6. श्री सुकेश कुमार जैन
सचिव (ऊर्जा), जीएनसीटीडी
7. श्री केशव चंद्र,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड
8. श्री के.के. जोडर,
मुख्य नियोजक, टीसीपीओ
9. श्री डी. पी. सिंह
मुख्य अभियंता (पूर्वी जोन एवं सीडब्ल्यूजी), दि.वि.प्रा.
10. श्री एस के लोहिया
मुख्य अभियंता, उत्तरी रेलवे
11. श्री एसडी शर्मा
निदेशक (बिजनेस डेवलपमेंट), डीएमआरसी
12. श्री एम. के. गुप्ता,
आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा.
13. श्री एस.पी. पाठक
आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.
14. श्री अनिल कुमार शर्मा,
मुख्य विधि सलाहकार, दि.वि.प्रा.
15. श्री शमशेर सिंह,
मुख्य नगर नियोजक, एसडीएमसी एवं एनडीएमसी
16. श्रीमती सविता भंडारी,
अपर आयुक्त (भू-दृश्य) दि.वि.प्रा.
17. श्री अमित कुमार दास
अपर आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.
18. श्री कमल जोशी,
निदेशक (भूमि लागत), दि.वि.प्रा.
19. श्री अमरदीप सिंह चौधरी
वित्त सलाहकार (आवास) दि.वि.प्रा.

20. श्री एस बी खोडानकर
निदेशक (योजना), दि.वि.प्रा.

21. श्रीमती आई.पी. पराते,
निदेशक (योजना), दि.वि.प्रा.

22. श्रीमती पूनम दीवान,
निदेशक (भू-दृश्य), दि.वि.प्रा.

23. श्री एच. के. भारती,
निदेशक (योजना), यूटीपैक, दि.वि.प्रा.

24. श्री राजेश कुमार जैन,
निदेशक (योजना), दि.वि.प्रा.

25. श्री सुरजीत जराधरा,
निदेशक (योजना), दि.वि.प्रा.

26. श्रीमती, प्रोमिता राय,
उप निदेशक (योजना) यूटीपैक, डीडीए

I.माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

__मद सं: 112/2015__

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 23.09.2015 को राजनिवास, दिल्ली में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एफ.2(2)2015/एमसी/डीडीए

(i.) श्री सोमनाथ भारती ने जोर दिया कि मद सं. 96/2015 के संबंध में प्राधिकरण के निर्णय को वापिस लिया जाना चाहिए।

(ii.) श्री एस के बग्गा ने बताया कि चूंकि दिल्ली में स्कूलों की आवश्यकता है, अत: स्कूलों को भूमि के आवंटन हेतु वरीयता दी जानी चाहिए, विशेष रूप से जबकि बीजेपी के दिल्ली में पहले से ही कार्यालय हैं।

(iii.) श्री ओ पी शर्मा, श्री सतीश उपाध्याय और श्रीमती (डॉक्टर) रजनी अब्बी ने श्री सोमनाथ भारती की मांग का विरोध किया क्योंकि दिनांक 23.09.2015 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में पहले से ही इस संबंध में निर्णय लिया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि मामला आपत्तियों/सुझावों के लिए पहले से ही पब्लिक डोमेन में है, इसलिए यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्तियां/सुझाव देने हो तो वे विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी मांग उठा सकते हैं।

(iv.) मुख्य विधि सलाहकार, दि.वि.प्रा. ने बताया कि चूंकि श्री सोमनाथ भारती प्राधिकरण की उस बैठक में उपस्थित नहीं थे, जिसके कार्यवृत्त की पुष्टि बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार की जा रही है, इसलिए कार्यवृत्त में संशोधन के संबंध में उनके पास कोई कारण नहीं है।

(v.) 23.09.2015 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की यथा परिचालित पुष्टि की गई।

<u>**मद सं: 113/2015**</u>

16.06.2015 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2(3)2015/एमसी/डीडीए

16.06.2015 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट नोट कर ली गई।

<u>**मद सं: 114/2015**</u>

राजपत्र अधिसूचना का.आ.संख्या. 1914 (ई) दिनांक 14.07.2015 के तहत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा परिवहन (अध्याय 12.0) में संशोधन और दिल्ली शहरी क्षेत्र-2021 (अध्याय 3.0) और विकास कोड (अध्याय 17.0) में संबंधित संशोधन।

एफ.20(7)/2015/एमपी

एजेंडा मद को हटा दिया गया।

<u>**मद सं: 115/2015**</u>

योजना जोन के-॥ (द्वारका) में दो स्थलों सेक्टर-24, द्वारका में लोकेशन 'ए' और सेक्टर-29, द्वारका में लोकेशन 'बी' के दि.मु.यो. 2021/जैडडीपी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के लिए भूमि उपयोग का 'जिला पार्क/मुख्य योजना हरित' (पी-2) से 'उपयोगिता' (यू-4) में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।

एफ.20(17)2014-एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>**मद सं: 116/2015**</u>

योजना जोन के-॥ (द्वारका) में आने वाले सेक्टर 5 द्वारका में 400 केवी ईएसएस के लिए 4 हेक्टेयर भूमि के दि.मु.यो.-2021/जैडडीपी में भूमि उपयोग का (सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं(पीएस1) से 'उपयोगिता' (यू 3) में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।

एफ.20(34)2014-एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं: 117/2015</u>

अस्पतालों में प्रतीक्षा/स्वागत कक्ष के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के संबंध में दि.मु.यो.-2021 में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.13(02)2015-एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं: 118/2015</u>

दिल्ली के हानिकारक अपशिष्ट हेतु शोधन भण्डारण एवं निपटान सुविधाओं (टीएसडीएफ) के प्रावधानों के संबंध में दि.मु.यो.-2021 में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.20(08)2013/एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं: 119/2015</u>

योजना जोन-डी में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के लिए 'अक्षय ऊर्जा भवन' के निर्माण हेतु सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के सामने 1.12 हे. (2.76 एकड़) क्षेत्रफल के भूमि उपयोग का 'आवासीय' से '(सरकारी कार्यालय)' में प्रस्तावित परिवर्तन।

एफ.20(11)2015/एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं: 120/2015</u>

जोन 'ए' (वाल्ड सिटी) में परदा बाग के भूमि उपयोग का 'मनोरंजनात्मक' (पार्क/खुले स्थान) से 'आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक में परिवर्तन।

एफ.3(02)2006-एमपी/वाल्यूम I

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं: 121/2015</u>

फ्लैटों की मानक लागत-निर्माण की प्लिंटा एरिया दरें 1 अक्टूबर, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक प्रभावी।

एफ.21(1671)2001/एचएसी/पार्ट.II

एजेंडा मद को हटा दिया गया।

मद सं: 122/2015

मोटल्स के संबंध में दि.मु.यो.-2021 में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.20(04)/83-एमपी-वाल्यूम-॥

एजेंडा मद को हटा दिया गया।

मद सं: 123/2015

220 केवी ग्रिड स्टेशन की स्थापना हेतु दिल्ली ट्रांसको लि. को भूमि आबंटित करने के लिए जनकपुरी में पंखा रोड स्थित सांस्थानिक क्षेत्र से सटे हुए 24 मी. मार्गाधिकार के साथ 1.14 हे. भूमि के भूमि उपयोग का 'मनोरंजनात्मक' उपयोग (पी-2 जिला पार्क) से 'उपयोगिता' (यू-3 इलैक्ट्रिसिटी, सब स्टेशन) में परिवर्तन।

एफ.6(17)2014-एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं: 124/2015

राष्ट्रमंडल खेल गांव और क्लब/सामुदायिक केन्द्र में 12,858.81 वर्ग.मी. की जब्ती का मामला।

एफ.13(127)07/बिल्डिंग/वाल्यू.XIII

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं: 125/2015

दिल्ली विकास प्राधिकरण के जैव वैविध्य पार्क और उनका प्रबंधन।

एफ.पीए/एसी(एलएस)/डीडीए/2015/30

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं: 126/2015

बायो-डायसर्विटी फाउंडेशन हेतु पदों के सृजन के संबंध में।

एफ.पीए/एसी(एलएस)डीडीए/2015/73

एजेंडा मद को हटा दिया गया।

मद सं: 127/2015

वर्ष 2014-15 और 2015-16 हेतु डीडीए के क्षेत्रों में सांस्थानिक भूमि प्रीमियम का निर्धारण।

एफ.6(4)2007/एओ(पी)डीडीए/वाल्यू.॥

एजेंडा मद को हटा दिया गया।

<u>मद सं: 128/2015</u>

एमआरटीएस कोरिडोर के साथ प्रभाव जोन-का.आ.सं. 1914 (ई) दिनांक 14.07.2015 के तहत अधिसूचित दि.मु.यो.-2021 के परिवहन अध्याय में यथा समाविष्ट ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलेपमेंट (टीओडी) विनियम, 2015

एफ.सं.एफ.20(07)2015/एमपी/पार्ट-I

यह निर्णय लिया गया कि मसौदा विनियम, मुख्य स्टेकहोल्डर अर्थात एमसीडी, नई दिल्ली नगर परिषद, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली अग्निशमन सेवा, डीएमआरसी, परिवहन विभाग (जीएनसीटीडी) को उनकी टिप्पणियों/सुझावों के लिए 30 दिनों के भीतर प्रस्तावित विनियमों को पूरी दिल्ली में वैधता और अनुप्रयोज्यता प्रदान करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा। टिप्पणियों/इन सुझावों के आधार पर, मसौदा एजेंडा को अपडेट किया जाए और प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

<u>अन्य मुद्दे</u>

23.09.2015 को राजनिवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए 'अन्य मुद्दों' पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट।

एफ.2(2)2015/एमसी/डीडीए/पार्ट

23.09.2015 को राजनिवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए 'अन्य मुद्दों' पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट को नोट कर लिया गया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

****